कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर।

क्रमांक :– का.आ. / 2020 / 40 दिनांक :– 5/8/2020 ~~जुलाई~~, 2020

कार्यालय–आदेश

मैं **केदार नाथ, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर** दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) एवं 410(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक का.आ. / 2020 / 37 दिनांक 29 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश पारित करता हूं कि दिनांक 08 एवं 09 अगस्त, 2020 क्रमशः द्वितीय शनिवार एवं रविवार अवकाश के दिन जयपुर जिला जयपुर, चौमू एवं जमवारामगढ मुख्यालय के लिये जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर की ड्यूटी नियत है। अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 04.08.2020 में अंकित सहमति के आधार पर दिनांक 08 एवं 09 अगस्त, 2020 क्रमशः द्वितीय शनिवार एवं रविवार अवकाश के दिन **जयपुर जिला जयपुर, चौमू एवं जमवारामगढ मुख्यालय** के लिये जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यो हेतु **अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर** को नियुक्त किया जाता है एवं दिनांक 08 व 09 अगस्त, 2020 क्रमशः द्वितीय शनिवार एवं रविवार अवकाश के दिन अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर को रिमाण्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाता है।

(केदार नाथ)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक :– 966 to 971 दिनांक :– 5/8/2020 ~~जुलाई~~, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर को आदर सहित ।
2. जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के जयपुर जिला जयपुर, चौमू एवं जमवारामगढ मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालय। **(जरिये E-Mail)**
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। **(जरिये E-Mail)**
5. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर जिला, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला,जयपुर।